मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

ठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर ए एस
जस्व वाद संख्या :–281/2024

1. निशान्त बिश्नोई पुत्र विशाल कुमार जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ । – – वादी

बनाम

1. विशाल कुमार दत्तक पुत्र बुधराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. शकीला पत्नी विशाल कुमार जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री दिनांक :–...06.09.2024

वादी की ओर से श्री रामस्वरूप भादू अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री अनिल सिडाना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.09.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 1 के.एस.पी.–सी जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 57/24 में दर्ज 6.704 हैक्टर में से वादी को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 1 के.एस.पी.–सी के खाता संख्या 57/24 में से विशाल कुमार का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी